

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन)

IWMP
परिपत्र क्र-11

क्र. 7600 / 22 / वि-9 / आरजीएम / आईडब्ल्यूएमपी / 2011 भोपाल, दिनांक 28 / 04 / 11

प्रति,

कलेक्टर एवं मिशन लीडर
एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)
जिला - समस्त

विषय: एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme - IWMP) की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु विविध कार्यकलापों की आयोजना और कार्यान्वयन के संबंध में।

1. पृष्ठभूमि :-

1.1. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत पूर्व में सामान्यतः जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य को प्राथमिकता दी गई है और मिट्टी के संरक्षण व जल के संवर्धन के पश्चात् कृषि उत्पादन में बढोत्तरी के लिये पर्याप्त कार्य नहीं हुये हैं। इस कमी को दूर करने के लिये अतः भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग और राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme - IWMP) के उद्देश्यों में कृषि उत्पादन में इष्टतम वृद्धि को प्राथमिक उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है तथा संबंधित कार्यकलापों के आयोजना और कार्यान्वयन के लिये वित्तीय प्रावधान भी किया गया है।

1.2. यह भी उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में दलहन, तिलहन एवं अनाज वर्ग की विभिन्न फसलों के लिये अनुकूल कृषि जलवायु क्षेत्र है। परंतु मानसून की अनियमितता/ असमय सूखा, पर्याप्त जल की अनुपलब्धता, कम बीज परिवर्तन दर, मिट्टी की कम उर्वरता व क्षरण इत्यादि कारणों से इन फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। अतः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाएं एक अवसर हैं, जब इनके कार्य क्षेत्र के ग्रामों में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों के फलस्वरूप संरक्षित मिट्टी ओर संवर्धित जल के सुदृढ प्राकृतिक आधार पर विभिन्न वर्ग की

फसलों के उत्पादन में इष्टतम बढोत्तरी की जा सकती है, जो स्थानीय ग्रामीणों की टिकाउ आजीविका के लिये आवश्यक भी है। इस हेतु वर्तमान में ली जा रही फसलों/किस्मों तथा मिट्टी/पानी के सरंक्षण व संवर्धन के पश्चात् इन संसाधनों के यथोचित दोहन के द्वारा ली जा सकने वाली फसलों/किस्मों के उत्पादन में इष्टतम बढोत्तरी के लिये स्थानीय विशिष्टताओं के अनुरूप वर्तमान कृषि उत्पादन प्रणालियों का उन्नयन/संवर्धन करना होगा और नवीन कृषि उत्पादन प्रणालियां भी अपनाया होंगी। तत्संबंध में विविध कार्यकलापों की आयोजना व कार्यान्वयन हेतु यह दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इन निर्देशों के अनुरूप एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजनाओं के अंतर्गत कृषि उत्पादन में बढोत्तरी के लिये अपनाई जाने वाली कृषि उत्पादन प्रणाली हेतु आवश्यक कार्यकलापों का चयन कर परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में अनिवार्यतः शामिल किया जाये और अनुमोदन/स्वीकृति उपरान्त कार्यान्वयन कराया जाये।

2. कृषि उत्पादन प्रणाली के उन्नयन/संवर्धन तथा नवीन कृषि उत्पादन प्रणाली के घटक कार्यकलाप :-

2.1 कृषि उत्पादन में इष्टतम बढोत्तरी के लिये कोई नुस्खा आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली निर्धारित नहीं की जा सकती। स्थानीय कृषि जलवायु, फसल/किस्म, इसकी उत्पादकता, फसल सघनता, एकफसलीय व दोफसलीय क्षेत्र, उर्वरक/खाद/सूक्ष्म पोषण तत्वों, कीटनाशक, सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता, भूमि सामर्थ्य कृषकों की सामर्थ्य इत्यादि कारकों के आधार पर ही कृषि उत्पादन में बढोत्तरी के लिये विविध घटक कार्यकलापों का चयन कर अपनाई जाने वाली कृषि उत्पादन प्रणाली का निर्धारण करना होगा। यह घटक कार्यकलाप निम्नानुसार उल्लेखित कार्यकलापों में से चयनित किये जा सकते हैं : -

2.1.1. **कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर अनुशंसित फसल किस्मों का चुनाव :-** कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं कृषि अनुसंधान केन्द्रों द्वारा मध्यप्रदेश के जिलों हेतु विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुरूप विभिन्न फसलों और उनकी किस्मों की अनुशंसा की है। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु अनुशंसित फसलों एवं किस्मों की

जानकारी **अनुलग्नक-1** पर संलग्न है। कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुरूप अनुशंसित इन फसलों और किस्मों में से उपयुक्त फसलों/किस्मों का चुनाव कर कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। फसलों और किस्मों के चयन में सहभागी चयन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

2.1.2. नवीन फसल किस्मों को प्रोत्साहन एवं बीज उत्पादन :- ऐसे कृषक जो जागरूक हैं व नई फसल किस्मों को लगाने को इच्छुक हैं, उन कृषकों का चयन कर कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर अनुशंसित नवीन फसल किस्मों की खेती को बढ़ावा देकर भी उत्पादकता में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा मध्यप्रदेश हेतु अनुशंसित फसल व उनकी किस्में **अनुलग्नक-2** पर संलग्न है। बेहतर होगा कि नवीन फसल किस्मों के प्रजनक/आधार बीज कृषकों को उपलब्ध कराये जायें ताकि जो कृषक बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, उन कृषकों को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश के बीज प्रमाणीकरण कार्यक्रम से जोड़ा जा सके। इस हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था के साथ समन्वय कर कृषकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें, ताकि वे अपने उत्पाद को बेचकर अच्छी आय प्राप्त कर सकें।

2.1.3. स्थानीय किस्मों को बढ़ावा देना :- कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों द्वारा विभिन्न फसलों की स्थानीय किस्में तैयार की हैं, जो कम लागत वाली होती हैं साथ ही क्षेत्र विशेष हेतु न्यूनतम रख रखाव में भी अच्छा उत्पादन देती हैं। इन किस्मों में रोगों एवं कीटों का प्रकोप भी कम होता है। ऐसे कृषक जो कृषि कार्यों में ज्यादा लागत नहीं लगा सकते उन कृषकों को फसलों की स्थानीय किस्में लगाने हेतु भी प्रोत्साहित किया जा सकता है, उदाहरण स्वरूप कोदो, रागी, कुटकी, रामतिल इत्यादि।

2.1.4. दक्षतापूर्ण फसल पद्धतियों का चयन :- वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित विभिन्न फसल पद्धतियों को अपनाने से भी प्रति इकाई भूमि समतुल्य अनुपात तथा उत्पादकता क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहां पानी समुचित मात्रा में उपलब्ध है वहां बहुफसलीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक लिया जा सकता है। **बहुफसलीय पद्धति** हेतु अनुशंसित फसल चक्र **अनुलग्नक-3** पर संलग्न है। उपलब्ध भूमि के समुचित उपयोग के लिये कतारों में बोई गई फसल के बीच की जगह में दूसरी अन्य फसल लगाकर

अंतरवर्तीय फसल पद्धति अपनाई जा सकती है। विभिन्न मौसम की अतंवर्तीय फसल पद्धतियां **अनुलग्नक-4** पर संलग्न है। एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसले जिनके बोने, पकने तथा काटने का समय लगभग एक ही होता है, बगैर किसी निश्चित कतार व्यवस्थापन के मिश्रित फसल पद्धति अपनाकर ली जा सकती है। विभिन्न मौसम में मिश्रित फसलों के उदाहरण **अनुलग्नक-5** पर संलग्न है।

2.1.5. भूमि सामर्थ्य के अनुसार भूमि उपयोग :- भूमि का सामर्थ्य उसके, ढलान, मृदा स्थिति, जलवायु, स्थानीय स्थितियां इत्यादि कई बातों पर निर्भर करता है एवं उनके अनुकूल ही फसल पद्धतियों का चुनाव किया जाना चाहिये, तभी अपेक्षित कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। भूमि सामर्थ्य के अनुसार फसल नियोजन **अनुलग्नक-6** पर संलग्न है। ढाल प्रतिशत अनुसार भूमि का उपयोग एवं उपचार भी **अनुलग्नक-7** पर संलग्न है।

2.1.6. बीज परिवर्तन :- कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये गुणवत्ता पूर्ण बीज अहम भूमिका रखता है। अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों से ही कृषि उत्पादकता 20 से 30 प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है। अतः ऐसे कृषक जो कई वर्षों से एक ही बीज से प्राप्त उपज को ही लगातार बीज के रूप में उपयोग कर रहे हैं, उन कृषकों का चयन कर उन्हें बीज परिवर्तन के द्वारा गुणवत्ता पूर्ण बीज उपलब्ध कराकर उत्पादकता में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

2.1.7. बीज उपचार :- बीजोपचार एक सस्ती एवं सुविधाजनक तकनीक है। बीजोपचार के लिये बीजों को जैविक एवं रसायनिक दोनों प्रकार से उपचारित किया जाता है। फफूंद नाशक से बीजोपचार कर बीज को बोने से बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है। इसके अलावा कीटनाशक द्वारा अन्य बहुत सी कीट व्याधियों से फसल को बचाने में तथा कल्चर द्वारा बीज उपचार कर सूक्ष्म जीवों के प्रवेशन द्वारा न्यूनतम खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कर मृदा की उर्वरता एवं कृषि उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी होती है।

2.1.8. मृदा परीक्षण एवं समन्वित पोषण प्रबंधन :- बेहतर फसल उत्पादन एवं मृदा स्वास्थ्य हेतु संतुलित पौध पोषण अति आवश्यक है। इसके लिये खेत की मिट्टी में उपलब्ध विभिन्न प्रमुख एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की वर्तमान मात्रा की जानकारी, पी.एच, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा एवं मृदा में उपलब्ध घुलनशील लवण की मात्रा ज्ञात करना होगी, जो मिट्टी परीक्षण कर प्राप्त की जा सकती है। हो सकता है कि परियोजना क्षेत्र के ग्रामों में

मिट्टी परीक्षण की जानकारी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के स्थानीय कार्यालय में अथवा संबंधित कृषक के पास से उपलब्ध हो। यदि ऐसा नहीं है तो किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम के तहत जिलों में स्थापित प्रयोगशालाओं में मिट्टी परीक्षण हेतु नमूने भेजकर मृदा परीक्षण कराया जा सकता है क्योंकि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अपने स्तर मृदा परीक्षण करा रहा है। मिट्टी परीक्षण हेतु के नमूनों का एकत्रीकरण माइक्रोवाटरशेड में नेट प्लानिंग के दौरान प्रतिनिधिक तौर पर हर उस खेत/खसरे, जिसकी मिट्टी के गुणधर्म भिन्न भिन्न हैं से किया जाये। मिट्टी परीक्षण के परिणामों के आधार पर बोई जाने वाली फसल एवं किस्म हेतु पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार खाद, उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है। रसायनिक उर्वरकों के साथ जैव उर्वरकों, गोबर खाद, कम्पोस्ट खाद या हरी खाद का भी समन्वित उपयोग अनुशंसित कर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही मिट्टी में हवा का संचार, नमी एवं जलधारण क्षमता में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। समन्वित पोषण प्रबंधन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश **अनुलग्नक-8** पर है। मृदा पी.एच. (pH) के आधार पर आवश्यकता होने पर **अनुलग्नक-9** अनुसार मृदा सुधारकों का भी उपयोग कर मृदा उपचार किया जाना चाहिये। जैविक खेती की शुरुआत हेतु दिशाबोध **अनुलग्नक-10** पर है। ली जाने वाली फसलों/किस्मों हेतु **अनुलग्नक-11** अनुसार प्रत्येक खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार कर, खाद, उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा की अनुशंसा तैयार किया जाना चाहिये।

2.1.9. समन्वित पौध सुरक्षा प्रबंधन :- समन्वित पौध सुरक्षा प्रबंधन (आई.पी.एम.) द्वारा रोगों, कीटों एवं खरपतवार से फसल के पौधों की सुरक्षा की जा सकती है और संवहनीय कृषि उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप समन्वित कीट प्रबंधन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुसंशाएँ **अनुलग्नक-12** पर है।

2.1.10. सिंचाई जल प्रबंधन :-जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले जल का उपयोग समुचित पद्धति द्वारा किया जाना चाहिये ताकि न सिर्फ जल के अपव्यय को रोका जा सके बल्कि वांछित उत्पादन वृद्धि भी प्राप्त की जा सके। जल के बेहतर उपयोग हेतु कुछ महत्वपूर्ण अनुसंशाएँ **अनुलग्नक-13** पर संलग्न है।

3 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) और वित्तीय व्यवस्था :-

- 3.1 माइक्रोवाटरशेड में नेट प्लानिंग के दौरान ही खसरेवार ली जा रही फसल/किस्म, इसकी उत्पादकता, फसल सघनता, एकफसलीय व दोफसलीय क्षेत्र, उपयोग किये जा रहे उर्वरक/खाद/सूक्ष्म पोषण तत्वों, कीटनाशक, सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता, भूमि सामर्थ्य आदि की जानकारी एकत्र कर ली जानी चाहिये तदोपरान्त इस मूलभूत जानकारी के आधार पर पैरा-2 में उल्लेखित कार्यकलापों में से यथोचित एवं क्षेत्र की विशिष्टताओं के अनुरूप कार्यकलापों का चयन करते हुये वर्तमान कृषि उत्पादन प्रणाली के उन्नयन अथवा नवीन कृषि उत्पादन प्रणाली अपनाये जाने का इस तरह निर्धारण करना होगा ताकि कृषि उत्पादन इष्टतम बढ़ोत्तरी हो सके। निर्धारित की गई कृषि उत्पादन प्रणाली से लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता पर लाभान्वित किया जाना है। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की गई कृषि उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यकलापों की मात्रा/संख्या तथा कार्यान्वयन हेतु लागत का भी निर्धारण किया जायेगा।
- 3.2 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी के कार्यों के कार्यान्वयन के लिये धनराशि की व्यवस्था परियोजना में उपलब्ध "परियोजना निधि" के "उत्पादन प्रणाली एवं लघु उद्यम" मद से की जा सकेगी। इन कार्यों हेतु धनराशि जारी करने और उपयोग के संबंध में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक-4 (जावक क्रमांक-12865/22/वि-9/आरजीएम दिनांक 20.09.10) में उल्लेखित प्रावधानों व समय-समय पर इसमें किये गये संशोधनों का ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य शासकीय योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (RKVY), नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन, BRGF, NREGS, NFSM, इत्यादि योजनाओं से भी अभिसरण कर वित्तीय संसाधन जुटाने होंगे। इस हेतु इन योजनाओं से संबंधित जिला /विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय के नोडल अधिकारी या उनके प्रतिनिधि के साथ समन्वय सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभाग की योजनाओं के साथ अभिसरण का मैट्रिक्स अनुलग्नक-14 पर संलग्न है।

3.3 कृषि उत्पादन में बढौत्तरी हेतु निर्धारित की गई कृषि उत्पादन प्रणाली के लिये चयनित कार्यकलापों और वित्तीय ससांधन के निर्धारण के पश्चात वर्षवार, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तय करते हुये इन्हें विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में शामिल करना होगा।

4. कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण :-

4.1 कृषि उत्पादन में बढौत्तरी हेतु निर्धारित की गई कृषि उत्पादन प्रणाली के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में शामिल कार्यकलापों का कार्यान्वयन जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यो नामतः मृदा संरक्षण एवं जल संरक्षण व संवर्धन के निष्पादन के साथ-साथ अथवा इसके पश्चात, जैसा भी क्षेत्र की परिस्थिति एवं विशेषताएं निर्देशित करें, किया जा सकता है। कृषकों को विभिन्न कृषि उत्पादन प्रणालियों के संबध में जागरूक एवं प्रेरित करने के लिये प्रारंभ में प्रक्षेत्र प्रदर्शन भी लिये सकते है। प्रक्षेत्र प्रदर्शन विधि प्रदर्शन एवं परिणाम प्रदर्शन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। पी.आई.ए. द्वारा कृषि उत्पादन में बढौत्तरी हेतु निष्पादित कार्यो का संपूर्ण लेखा-‘जोखा लाभान्वित हितग्राहियों सहित रखा जायेगा। जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा प्रत्येक पी.आई.ए. द्वारा कृषि उत्पादन में बढौत्तरी हेतु निष्पादित कार्यो का समय-समय पर अनुश्रवण अनिवार्यतः किया जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अपर मुख्य सचिव,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदित)

हस्ता / -

(अजय तिर्की)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 7601 / 22 / वि-9 / आरजीएम / आईडब्ल्यूएमपी / 2011 भोपाल, दिनांक 28 / 04 / 11

प्रतिलिपि :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी विभाग की ओर सूचनार्थ ।
4. संभाग आयुक्त, संभाग – समस्त की ओर सूचनार्थ ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत- समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

हस्ता / -
(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में अनुशंसित फसलें एवं किस्में

क्रमांक	कृषि जलवायु क्षेत्र	जिला	फसल एवं किस्म
1	छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र	बालाघाट	धान – महामाया, स्वर्ण, क्रान्ति, पूसा बासमती, पूसा सुगन्धा – 3, आई.आर. – 64, आई.आर. – 36, सी.एस.आर. – 27, पूर्णिमा, जे.आर. – 503, जे.आर. – 201, जे.आर-353, एच.एम.टी., पारस सोना, सारथी, पूजा, गेहूं – डब्ल्यू.एच. – 147, जी.डब्ल्यू-322, जी.डब्ल्यू-173, जी.डब्ल्यू-273, जी.डब्ल्यू –1190, जी.डब्ल्यू-366, जी.डब्ल्यू-367, लोक1, एम.पी. – 1106, 8481, एच.आई. – 8698, एच. आई. – 8627, सुजाता, सी-306, एच.आई.- 1500, एच.डब्ल्यू-2004, जे.जी. – 16, जे.डी.-315, जे.जी. – 11, जे.जी – 322
2	छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र	शहडोल, सीधी एवं मण्डला, डिण्डोरी	कुटकी - डिण्डोरी-1
3	केमूर का पठार एवं सतपुड़ा की पहाड़ी	रीवा, सतना, पन्ना, सिवनी, उमरिया, कटनी	सोयाबीन – जे.एस. 72-44, जे.एस. 72-280, जे.एस. – 2, जे.एस. – 75-46, जे.एस. – 76-205, जे.एस. –80-21, जे.एस. –71-05, जे.एस. –90-41, जे.एस. –93-05 चना - जे.जी.-322, जे.जी.जी.-1, जे.के.जी.-1, जे.जी. –62, जे.जी.-74, जे.जी.-315 मटर - जे.पी.-179, जे.एम.-6, जे.पी.-885 जे.एम.-1, जे.एम-2, जे.एम-3, जे.एम-4 अलसी - जे.एल.डी.-1 जे.एल.डी.-23 उर्द - जे.यू.-2, जे.यू.-3 कोदो -जे.के.-1, जे.के.-2, नीवास-1, जे.के.-41, जे.के. –76, जे.के.-101, जे.के.-364, जे.के.-62, जे.के.-147, जे.के.-136, जे.के.-439 कुटकी - डिण्डोरी-1, जे. कुटकी-2, जे कुटकी-8 रागी - जे. रागी-852, जे.रागी-1008, जे.रागी-981-1
4	मध्य नर्मदा घाटी	जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा	गेहूं -एम.पी.-4010

क्रमांक	कृषि जलवायु क्षेत्र	जिला	फसल एवं किस्म
5	विन्ध्य का पठार	भोपाल, सीहोर, रायसेन, गुना, विदिशा सागर एवं दमोह	<u>अलसी</u> — जे.एल.एस.—9, जे.एल.एस.—27 <u>सोयाबीन</u> — जे.एस.—335, <u>गन्ना</u> — सी.ओ.जे.एन.—86—141 <u>चना</u> — जे.जी.—130, जे.जी.—218, जे.जी.—11, जे.जी.—16, जे.जी.—5, उज्जैन—24, उज्जैन—21 <u>मसूर</u> —जे.एल.—1, जे.एल.—2, जे.एल.—3 <u>अरहर</u> — जे.ए.—4
6	गिंद क्षेत्र	भिण्ड, मुरैना श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी	<u>सरसों</u> — जे.एम.—1 <u>गेहूँ</u> — एम.पी.—4010 <u>बाजरा</u> —जे.बी.एच.—1, जे.बी.एच.—2, जे.बी.वी.—2 जे.बी.एच.—3,
7	बुन्देलखण्ड का क्षेत्र	छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना	<u>तिल</u> — जे.टी.—8, जे.टी.—21, जे.टी.—22, जे.टी.—55 <u>अलसी</u> — जे.—23, जे.एल.—26 <u>राई</u> — करन साई
8	सतपुड़ा का पठार	बैतूल एवं छिदवाड़ा	<u>मक्का</u> — चंदन मक्का—1, चंदन मक्का—2, चंदन मक्का—3, जे.सी.एम.—8, जे.सी.एम.—12 (जे.मक्का—216) <u>रामतिल</u> — जे.एन.सी.—1, जे.एन.सी.—6 <u>उर्द</u> — मास्टर्ड सिक्कवेंस
9	मालवा का पठार	शिवपुरी, गुना, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, इन्दौर एवं देवास	<u>ज्वार</u> — विदिशा—60'1, जे.जे.—235, जे.जे.—236, जे.जे.—741, जे.जे.—938, सी.एस.एच—18(हाईब्रिड) जे.जे.—1041 <u>कुसुम</u> —जे.एस.एफ.—1, जे.एस.एफ.—7, जे.एस.एफ.—73
10	निमाड़ का मैदानी क्षेत्र	खण्डवा, खरगौन, धार	<u>कपास</u> —मालजुरी, जवाहर ताप्ती, खण्डवा—1 नर्मदा, बदनावर—1 खण्डवा—2 विक्रम, खण्डवा—3 जे.के.एच.वाय.—1, जे.के.एच.वाय.—2, जे.के.एच.वाय.—11, जवाहर कपास—4, जे.के.एच.वाय.—3, जे.सी.सी.—1 <u>मूंग</u> —जे.एस.—721 <u>उर्द</u> —खरगौन—3 <u>मूंगफली</u> — जे.एम.—2, जे.एम.—24, जे.एम.—3, ज्योति <u>अरहर</u> —खरगौन—2, जे.ए.—4, जे.के.,एम.—7
11	झाबुआ का पहाड़ी	झाबुआ	<u>मक्का</u> — जीडीआरएम — 187

संदर्भ :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा मध्यप्रदेश हेतु अनुशंसित फसलें एवं किस्में

क्रमांक	फसल	किस्म
1	गेहूँ	लोक 1 , राज 3765, डीडीके. 1009, एच.आई 8498, एच.डी. 4672, एच.आई 1418, एच.आई 1454, पी.बी.डब्ल्यू 306, एम.पी.ओ. 1106, जी.डब्ल्यू 322, एम.पी, 1106, एच.आई 8627, जे.डब्ल्यू. 3020, एच. डी. 2864, एच.आई 1531, जे.डब्ल्यू. 1202, जे.डब्ल्यू. 1203, जे. डब्ल्यू. 3211, जे.डब्ल्यू. 3173,
2	धान	महामाया, श्यामला, पूर्णिमा, बम्लेश्वरी, दंतेश्वरी, रश्मि, पूसा सुगन्धा, जे.आर. 201, नरेन्द्र 8002, पूजा, केआरएच-2, पीए-6205, जेआरएच-4, जेआरएच-5, जेआरएच-8,
3	चना	जे.जी. 62, एल. 550 जे.जी. 74, आईसीसीसी. 32, जे.जी., 315, पूसा, 256, विश्वास (फुले जी 5) क्रान्ती (आईसीसीसी 37) भारती (आईसीसीसी 10) विजय, धरबाद प्रगति, गुजरात ग्राम-1, केएके-2, एसएकेआई (9516), वैभव (आरजी 9218), जवाहर ग्राम कैप-1, पूसा सुभरा,
4	अरहर	यूपीएस-120, एनओ-148, विशाखा-1, प्रगति, जाग्रति, पूसा-33, आईसीपीएच-8, जेए-4, आशा, केएम-7, एकेपीएच-410, मालवीय विकल्प, जीटीएच-1,
5	मूंग	पंतमूंग-3, पूसा-105, पीडीएम-11, बीएम-4, पूसा-9072, जेएम-721, टीएआरएम-1, पूसा-9531, एचयूएम-1,
6	उर्द	खरगोन-3, पंत.यू.-30, जवाहर उर्द-2, जवाहर उर्द-3, पीडीयू-1, टीएयू-4, टीएयू-94-2, बरखा, केयू-96-3,
7	मसूर	के-75, जेएल-1, लेन्स-4076, जेएल-3, नूरी,
8	मटर	रचना, जेपी-179, जेपी-885, अम्बिका, केपीएमआर-400, आईपीएफ-99-25, आईपीएफडी-99-13, आईपीएफडी-1-10,

संदर्भ :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

द्विफसलीय एक वर्षीय फसल – चक्र (200 प्रतिशत सघनता) :		
खरीफ मौसम	रबी मौसम	
मक्का	गेंहूँ	
सोयाबीन	गेंहूँ	
ज्वार	गेंहूँ	
मक्का	चना	
सोयाबीन	चना	
ज्वार	चना	
त्रिफसलीय एवं वर्षीय फसल चक्र (300 प्रतिशत सघनता) :		
खरीफ की फसलें	रबी की फसलें	जायद की फसलें
मक्का	गेंहूँ, चना, मसूर	मूँग ,उर्द, लोबिया
ज्वार	---	---
सोयाबीन	मटर, सूर्यमुखी	ज्वार, मक्का लाबिया
अरहर	---	---
दलहनी फसलों के प्रमुख फसल चक्र :		
मक्का	चना या मसूर	मूँग या उड़द
अगेती अरहर	गेंहूँ	मूँग या उड़द
अगेती अरहर	मसूर	मूँग या उड़द

संदर्भ :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

अनुलग्नक-4 (I)

विभिन्न मौसम में अंतर्वर्तीय फसल पद्धतियां	
खरीफ	रबी
अरहर + सोयाबीन	गेहूं + चना
अरहर + ज्वार	गेहूं + अलसी
अरहर + मूँगफली	गेहूं + सरसों
सोयाबीन + मक्का	चना + सरसों
सोयाबीन + ज्वार	चना + अलसी
कपास + सोयाबीन	चना + मसूर
	गन्ना + आलू
	गन्ना + प्याज

संदर्भ :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में अनुशासित फसल पद्धतियां

क्रमांक	कृषि जलवायु क्षेत्र	जिला	फसल पद्धतियां (वर्षा आधारित)	फसल पद्धतियां (सिंचित)
1	छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र	बालाघाट		
2	छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र	शहडोल, सीधी एवं मण्डला, डिण्डोरी		
3	कैमूर का पठार एवं सतपुड़ा की पहाड़ी	रीवा, सतना, पन्ना, सिवनी, उमरिया, कटनी	धान - चना, सोयाबीन - चना, सोयाबीन + अरहर	धान - गेहूँ, सोयाबीन - चना, धान - बरसीम, धान - गेहूँ - मूंग, सोयाबीन - गेहूँ - मूंग
4	मध्य नर्मदा घाटी	जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा	सोयाबीन - चना, उर्द - अलसी, सोयाबीन + अरहर	सोयाबीन - चना, सोयाबीन - गेहूँ, धान - बरसीम, ज्वार - गेहूँ
5	विन्ध्य का पठार	भोपाल, सीहोर, रायसेन, गुना, विदिशा सागर एवं दमोह	सोयाबीन - चना, उर्द - अलसी, सोयाबीन + अरहर, सोयाबीन + ज्वार	सोयाबीन - चना, सोयाबीन - गेहूँ, ज्वार - गेहूँ, गन्ना+प्याज,
6	गिर्द क्षेत्र	भिण्ड, मुरैना श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी	उर्द - सरसों, अरहर + बाजरा, अरहर +ज्वार	सोयाबीन - सरसों, बाजरा - गेहूँ, गन्ना + प्याज
7	बुन्देलखण्ड का क्षेत्र	छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना	उर्द - सरसों, बाजरा + अरहर, ज्वार + अरहर	सोयाबीन - सरसों, सोयाबीन - गेहूँ, बाजरा - गेहूँ
8	सतपुड़ा का पठार	बैतूल एवं छिंदवाड़ा	सोयाबीन - चना, मक्का - चना, ज्वार + अरहर	सोयाबीन - चना, ज्वार - गेहूँ, मक्का - चना-सूर्यमुखी,
9	मालवा का पठार	शिवपुरी, गुना, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, इन्दौर एवं देवास	सोयाबीन - चना, सोयाबीन - कुसुम, सोयाबीन + अरहर, कपास + सोयाबीन, कपास + उर्द, ज्वार + अरहर	सोयाबीन - गेहूँ, ज्वार - गेहूँ, मक्का - चना, मक्का - सरसों
10	निमाड़ का मैदानी क्षेत्र	खण्डवा, खरगौन, धार	मूंगफली - चना, सोयाबीन - चना, सोयाबीन + अरहर, कपास + उर्द, ज्वार + अरहर	मूंगफली - गेहूँ, सोयाबीन - गेहूँ, ज्वार - गेहूँ, गन्ना + प्याज
11	झाबुआ की पहाड़ी	झाबुआ	मक्का - चना, कुटकी - कुटकी, कपास + सोयाबीन	मक्का - चना, मूंगफली - गेहूँ

विभिन्न मौसम में ली जाने वाली मिश्रित फसले	
खरीफ	रबी
मक्का+उर्द	गेहूँ+चना
ज्वार+उर्द	गेहूँ+मटर
ज्वार+लोविया	गेहूँ+सरसों
	गेहूँ+जौ
	सरसों+चना

संदर्भ :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

भूमि सामर्थ्य के अनुसार फसल नियोजन

क्र.	भूमि प्रकार	फसल नियोजन
1	वनस्पति विहीन पहाड़ियाँ	जलाऊ लकड़ी वाले पौधे, चारा उत्पादन वाली फसलें , फलदार पौधे एवं बहुवर्षीय घासों इन पहाड़ों पर ली जा सकती हैं। किस्मों का चयन स्थानीय परस्थितियों एवं कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर सुनिश्चित करें।
2	उथली मृदा एवं ढाल 3 प्रतिशत से कम हों	दलहन वर्ग एवं चारा वर्ग की फसलें एवं झाड़ियां ली जा सकती हैं।
3	उथली मृदा एवं ढाल 1-3 प्रतिशत	वर्षा ऋतु में ज्वार (चरी), मक्का एवं कम अवधि वाली दलहन वर्ग की फसलें (मूंग, उड़द) 0.3 प्रतिशत ग्रेड पर ढाल के विपरीत दिशा में ली जा सकती हैं।
4	उथली मृदा एवं ढाल 1 प्रतिशत से कम	सोयाबीन, ज्वार, मक्का इत्यादि की उन्नत किस्में ली जा सकती हैं।
5	गहरी मृदा एवं ढाल 3 प्रतिशत से अधिक	चारा वर्ग की फसलों का विकास एवं मृदा संरक्षण के कार्य लिये जा सकते हैं।
6	गहरी मृदा एवं ढाल 1 से 3 प्रतिशत	उन्नत किस्म की फसलें एवं फसल पद्धतियाँ 0.3 प्रतिशत ग्रेड पर ढाल के विपरीत ली जा सकती हैं। साथ ही सोयाबीन एवं अरहर की फसल की ज्वार एवं मक्का के साथ अंतरवर्तीय पद्धति से खेती करना लाभप्रद है।

संदर्भ :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

ढाल प्रतिशत अनुसार भूमि का उपयोग एवं उपचार

क्र.	ढाल प्रतिशत	उपयोगिता	संरक्षण पद्धति	उपचार कार्य
1	0-0.5	सामान्य फसलों के लिये उपयुक्त	भूमि संरक्षण कार्य की आवश्यकता नहीं है।	सिंचाई जल प्रबंधन सुनिश्चित करें।
2	0.5-1.0	सामान्य फसलों के लिये उपयुक्त	दलहन वर्ग की फसलों का चयन फसल चक्र में अनिवार्यतः करें।	जैविक खाद का उपयोग करें।
3	1-3	दलहन वर्ग की फसलों के लिए उपयुक्त	कंटूर आधारित खेती एवं दलहन वर्ग की फसलें ले साथ ही अन्य फसलें 2-3 वर्ष में एक बार ली जा सकती है।	जैविक खाद एवं स्फुर (फास्फोरस) वर्ग के उर्वरक का प्रयोग करें।
4	3-6	दलहन वर्ग की फसलों व फल तथा सब्जियां लें	ढलान के विपरीत कंटूर आधारित दलहन वर्ग की अंतरवर्तीय फसलें ली जा सकती हैं।	जैविक खाद एवं स्फुर (फास्फोरस) वर्ग के उर्वरक का प्रयोग करें।
5	6-12	चारागाह व वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त	चारा वर्ग की फसलें लगायें व पशुओं का ऐसे क्षेत्र में भ्रमण व चराई नियंत्रित करें।	चारा वर्ग की फसलों को आवश्यकतानुसार खाद दें।
6	12	कृषि के लिए अनुपयुक्त, वृक्षारोपण अनिवार्यतः करें।	खाली जगह पर घास एवं चारा वर्ग की फसल लगाएं।	चारा वर्ग की फसलों को आवश्यकतानुसार खाद दें।

समेकित पोषक तत्व प्रबंधन

1. भूमि की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने हेतु यह आवश्यक है कि फसल के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन समेकित रूप से किया जाये। भूमि में जीवाणुओं की गतिविधि बढ़ाने, भूमि जलधारण क्षमता बढ़ाने हेतु जैविक खाद का उपयोग करें। जैविक खाद के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली खाद FYM है जिसे किसानों द्वारा कृषि अवशिष्ट, गाय का गोबर, राख आदि से तैयार किया जाना है।
2. वानस्पतिक खाद (Compost) का उपयोग FYM से बेहतर माना गया है क्योंकि अच्छी तरह तैयार कम्पोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा FYM से ज्यादा होती है। खेत में फसलों के लिये उपयोग में लाये जाने हेतु वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया कम्पोस्ट खाद (NADEP) उत्तम माना गया है साथ ही सब्जी उत्पाद हेतु कैंचुआ खाद उत्तम माना गया है।
3. FYM एवं वानस्पतिक खाद (Compost) में पोषक तत्वों का संगठन :-

खाद	कुल(N) नत्रजन %	कुल(P) स्फुर %	(C:N) अनुपात
FYM	0.5-0.8	0.32-0.55	22.0-25.0
वानस्पतिक खाद	0.6-0.8	0.55-0.60	22.0-25.0

4. समेकित पोषक तत्व प्रबंधन हेतु हरी खाद का उपयोग मृदा में जैविक पदार्थ बढ़ाने हेतु एक प्रमुख कृषि पद्धति है। हरी खाद मृदा में नत्रजन स्थिरीकरण के साथ-साथ खरपतवार नियंत्रण में भी उपयोगी है। निम्न दलहन वर्गीय फसलों का उपयोग हरी खाद बनाने हेतु किया जा सकता है:-

क्र.	फसल का नाम	बोने का समय
1	ढेंचा	खरीफ / ग्रीष्मकाल
2	सन	खरीफ / ग्रीष्मकाल
3	मूंग	खरीफ / ग्रीष्मकाल
4	बरबटी	खरीफ
5	गुआर	खरीफ
6	सेन्जी	रबी
7	बरसीम	रबी
8	तिवड़ा	रबी

संदर्भ :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

5. उपरोक्त फसलों के अतिरिक्त निम्न पेड़ / झाड़िया हरी पत्ती खाद बनाने हेतु उपयोग में लायी जा सकती है:-

क्र.	फसल का नाम	रोपण का समय
1	सूबबूल	खरीफ
2	गिलायरसिडिया	खरीफ
3	जंगली ढेंचा	खरीफ
4	करंज	खरीफ

संदर्भ :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पी.एच. के आधार पर मृदा का उपचार

1. **अम्लीय मृदा** :- पी.एच. का मान 7 से कम आने पर मृदा अम्लीय (Acidic) की श्रेणी में आती है जिसके कारण मृदा में जैविक पदार्थों का विघटन धीमा हो जाता है, साथ ही मृदा में जीवाणुओं की गतिविधि कम हो जाती है।

अम्लीय मृदा का उपचार करने के उपाए :- बोआई के तीन माह पूर्व मृदा की ऊपरी 10 सेमी. परत में चूना डाला जाकर हल्की सिंचाई की जावे। मृदा प्रकार में पीएच के आधार पर चूने की आवश्यकता निम्न तालिका में दर्शायी गई है। मृदा उपचार करने से पूर्व अपने जिले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारी से सम्पर्क कर सलाह व सहयोग लें।

चूने की आवश्यकता किलोग्राम प्रति हैक्टेयर

मृदा पीएच	बालूई दौमट	दोमट	काली मिट्टी
6.4	75	112	175
6.2	225	337	525
6	375	562	875
5.8	525	787	1225
5.6	675	1012	1575
5.4	825	1237	1925
5.2	975	1462	2275
5	1125	1687	2625

संदर्भ :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

2. **लवणीय मृदा** :- मृदा पी.एच. का मान 7 से 8.5 के मध्य होने पर मृदा लवणीय /ऊसर (Saline) की श्रेणी में आती है। इस प्रकार की मृदायें ऐसे गर्म स्थान जहां जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है एवं वाष्पीकरण अत्याधिक है, बहुतायात से पाई जाती हैं।

लवणीय मृदा का उपचार करने के उपाए :-

1. खेत को छोटे-छोटे खण्डों में बाँटकर वर्षा जल को एकत्र कर खेत की जुताई उपरान्त पानी को बहा देना चाहिये। यही प्रक्रिया दो-तीन बार दोहराई जाये।

2. **सहनशील फसलों की खेती करें।**

- कम लवण (Salt) सहनशील फसलें :- सेम, मूग, उड़द, चना, मटर, संतरा।
- सामान्य लवण (Salt) सहनशील फसलें :- सेम, राई, गेहूँ, जौ, धान, कोदो-कुटकी मक्का, अरहर, टमाटर, पत्तागोभी, फूलगोभी, आलू, गाजर, मूली, प्याज, कद्दू-वगीर्य सब्जी।
- अधिक लवण (Salt) सहनशील फसलें :- शकरकंद, गाजर, कपास, ढेंचों।

संदर्भ :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

3. **छारीय मृदा** :- मृदा का पी.एच. का मान 8.5 से अधिक होने पर मृदा छारीय (Alkali) की श्रेणी में आती है।

छारीय मृदा को उपचार करने के उपाए :-

1. **जिप्सम (खरिया मिट्टी) का उपयोग** :- सामान्यतः 48 क्विंटल जिप्सम की आवश्यकता प्रति हैक्टेयर होगी।
2. **सल्फर (गंधक)** :- अत्याधिक कैल्शियम वाली छारीय मृदा को उपचारित करने हेतु सल्फर का उपयोग मृदा की ऊपरी सतह में हल्की सिंचाई के साथ किया जावे। सामान्यतः 3.2 क्विंटल सल्फर की आवश्यकता प्रति हैक्टेयर होगी।
3. **क्षार (Alkali) सहनशील फसलें** :- गेहूँ, कपास, जौ, टमाटर, शकरकंद एवं सेम की खेती करें।

संदर्भ :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

जैविक खेती की शुरुआत

जैविक खेती की शुरुआत करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देकर उत्पादन में गिरावट लाए बिना रासायनिक से जैविक (कार्बनिक) खेती की शुरुआत की जा सकती है:-

1. प्रत्येक ऐसे कृषक जो जैविक खेती करना चाहते हैं, जैविक खेती की शुरुआत से पहले अपने आस पड़ोस में हो रही जैविक कृषि प्रक्षेत्र का व्यक्तिगत रूप से अवलोकन अवश्य कर लें, साथ ही संबंधित कृषक से सलाह मशविरा (जिज्ञासा का प्रत्यक्ष समाधान) भी निश्चित तौर पर कर लें, क्योंकि मिट्टी का प्रकार, जलवायु, वातावरण आदि का प्रभाव प्रत्येक कृषि पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पड़ता है।
2. जैविक खेती करने से पूर्व अत्यावश्यक रूप से मृदा परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए जिससे की मृदा में आवश्यक तत्वों का प्रतिशत पता चले व कमी या अल्प प्रतिशत वाले तत्वों के अनुरूप ही खाद व जैविक उर्वरकों को सप्लाई किया जा सके।
3. ऐसे कृषक जो रासायनिक खाद/उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करते आ रहे हैं वे एकाएक यदि रासायनिक खाद का प्रयोग बंद करके जैविक खाद पर निर्भर हो जायेंगे तो फसल का औसत उत्पादन निश्चित रूप से कम आयेगा। अतः वे एक निश्चित अनुपात में दोनों की सप्लाई का नियोजन करें।
4. फसल चक्र का निर्धारण भी जैविक खेती का मूलभूत मंत्र है जिससे कि फसल उत्पादन प्रभावित हुए बिना मृदा का उपजाऊपन भी बना रहे।
5. गोबर की खाद/जैविक खाद का प्रयोग शुरू होने पर मृदा में पानी का प्रतिशत अधिक समय तक बना रहता है अतः रबी की फसलों में सिंचाई का भी उचित प्रबंधन करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है।
6. बीजों के चयन में भी बदलाव लाना होगा यह चयन जैविक खेती कर रहे कृषकों के अनुभवों का लाभ लेकर किया जा सकता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (विश्लेषण के आधार पर)

क्रम संख्या.....नाम कृषक / वल्द.....

निवासी.....ग्राम ग्राम पंचायतवि.खं.जिला

खसरा नं. क्षेत्र.सि./असिं, उच्च/तराई भूमि, मृदा कण संरचना.....पी.एच. (मृदा रसायनिक क्रिया)..... क्षारीय/लवणीय/कोई नहीं,

मृदा चालकता लवणीय/सामान्य

आर्गनिक कार्बन उपलब्ध नत्रजन (कि.ग्रा./हेक्टेयर)

उपलब्ध स्फुर (कि.ग्रा./हेक्टेयर)

उपलब्ध पोटाश (कि.ग्रा./हेक्टेयर)

निम्न	मध्यम	उच्च

सूक्ष्म तत्वों का स्तर

जिंक	तांबा	लौहा	मैंगनीज	बोरान

खाद एवं उर्वरक (नत्रजन, स्फुर, पोटाश) अनुशंसा प्रति हेक्टेयर

क्र.	फसल	उत्पादन लक्ष्य	गोबर खाद (टन)	नत्रजन (कि.ग्रा.)	स्फुर (कि.ग्रा.)	पोटाश (कि.ग्रा.)	विशेष

सूक्ष्म तत्वों हेतु अनुशंसायें

जिंकमैंगनीज

तांबागन्धक

लौहाबोरान

संदर्भ :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

समेकित कीट प्रबंधन

1. कीट प्रबंधन की समस्त तकनीकी का क्षेत्र एवं परिस्थिति अनुसार उपयोग समेकित कीट प्रबंधन कहलाता है। समेकित कीट प्रबंधन किफायती, प्रभावकारी एवं पर्यावरण के अनुकूल है। समेकित कीट प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नानुसार है :-
 - 1.1 **भौतिक कीट नियंत्रण :-** भण्डारित अनाज में नमी की मात्रा बढ़ने न दी जावे इसलिये अनाजों के भण्डारण पूर्व अच्छी तरह धूप में सूखा कर भण्डारण किया जावे।
 - 1.2 **यांत्रिकी कीट नियंत्रण :-** रात्रि में विचरण कीटों के प्रबंधन हेतु Light Trap का उपयोग किया जाता है।
 - 1.3 **सस्य कीट नियंत्रण :-** फसल चक्र में बदलाव, मिश्रित खेती, जुताई, कीट रोधी जातियों का उपयोग आदि किये जा सकते हैं।
 - 1.4 **जैविक कीट नियंत्रण :-** कीटों के शत्रु कीटों का उपयोग जैविक कीट नियंत्रण कहलाता है। बैक्टीरिया (बेसीलस थूरिनजिनसिस), फफूँद (बैवेरिया बैसियाना) वायरस (एन.पी.बी.) आदि बाजार में जैविक कीट नियंत्रण हेतु आसानी से उपलब्ध है जिनका उपयोग किया जा सकता है।
 - 1.5 **रासायनिक कीट नियंत्रण :-** बाजार में रासायनिक कीट नाशक आसानी से उपलब्ध है जिनका सही मात्रा में एवं उचित समय पर उपयोग कीट नियंत्रण में अत्यन्त उपयोगी पाया गया है।
2. **कार्ययोजना निर्माण के समय निम्न बातों का ध्यान रखा जावे :-**
 - 2.1 किसानों के साथ संपर्क कर पूर्व में हुये कीट प्रकोप की जानकारी आवश्यक एकत्रित की जावे।
 - 2.2 नैदानिक (Diagnostic) सर्वे किया जावे जिससे क्षेत्र में संभावित कीट प्रकोप की जानकारी प्राप्त हो सके।
 - 2.3 वर्तमान में कृषकों द्वारा अपनाई जा रही कृषि पद्धतियों की जानकारी एकत्रित की जावे।
 - 2.4 कीट प्रबंधन हेतु वर्तमान में अपनाई जा रही तकनीकों की जानकारी।
 - 2.5 कीट प्रबंधन हेतु उपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता।
 - 2.6 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से अनिवार्यतः समन्वय बनायें।

जल प्रबंधन

1. खेतों को बोनी पूर्व अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि सिंचाई जल खेत में अधिक समाहित हो सके एवं गहराई तक भण्डारित किया जा सके। दो से तीन वर्ष के अंतराल में ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई लाभदायक है।
2. बोनी के समय का भी फसल जल माँग पर प्रभाव पड़ता है अतः आवश्यक है कि फसलों की बोनी सही समय पर की जाए। बीज उचित गहराई पर डाला जाए एवं कतारों व पौधों के बीच अनुसंशित दूरी रखी जाए।
3. सिंचित दशाओं में फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है एवं बढ़वार भी तेज गति से होती है। यदि ऐसी बढ़ती हुई फसलों को पूरे-पूरे पोषक तत्व न मिले तो निश्चित ही उपज कम प्राप्त होगी अतः उर्वरकों का उपयोग अनुसंशित मात्रा में किया जाना आवश्यक है।
4. नींदा/खरपतवारों का उचित प्रबंधन किया जावे।
5. हरी खाद, कम्पोस्ट, F.Y.M.etc का उपयोग करने से मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है।
6. सिंचाई जल के खेत तक लाने के लिए नालियों एवं नहरों का उचित रखरखाव कर जल हानि को काफी कम किया जा सकता है।
7. विभिन्न फसलों की जल मांग का समय भिन्न - भिन्न होता है जो फसल अवस्था, मृदा गुण धर्म, मौसम आदि पर निर्भर करता है, अतः आवश्यक है कि सिंचाई जल तब ही दिया जाए जब उसकी आवश्यकता हो ताकि सिंचित जल का दक्षतापूर्ण उपयोग हो सके। सिंचाई जल कम होने की स्थिति में क्रांतिक अवस्था (critical stage) में सिंचाई की जाना अत्यंत उपयोगी है।
8. सिंचाई जल का उपयोग फसलों की आवश्यकता के अनुरूप एवं सही विधि अपनाने से न सिर्फ पानी की बचत की जा सकती है अपितु सही मात्रा में पानी प्रदाय कर फसलोत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। फसलों की आवश्यकतानुसार एवं किसान की सामर्थ्य के हिसाब से बार्डर स्ट्रिप, नाला-क्यारी विधि, **स्प्रिंकलर द्वारा एवं ड्रिप सिंचाई** का चयन किया जा सकता है।

अभिसरण मैट्रिक्स

क्र.	विभाग का नाम	योजनाओं का नाम	उद्देश्य एवं विवरण	सम्पर्क सूत्र
1	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,	<p> ॐॐॐॐॐॐॐॐ +xॐॐॐॐॐ †ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐ (ॐॐॐॐॐॐ +xॐॐॐॐॐ) </p>	गेहूँ, ज्वार, धान और अन्य मोटे अनाजों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का स्थानीय कार्यालय
		<p> †ॐ±ॐ½ॐxॐॐ nà±ॐ½ॐxॐॐ †ॐॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐ (†ॐ<ॐॐॐॐॐॐॐ) </p>	मक्का, तिलहन वर्ग एवं दलहन वर्ग के अंतर्गत आने वाली फसलों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना एवं जिले में अधिक क्षेत्र तथा कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रम का क्रियांवयन मुख्य रूप से किया जाना योजना का मुख्य उद्देश्य है।	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का स्थानीय कार्यालय
		<p> ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐ †ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐ </p>	कपास के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना।	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का स्थानीय कार्यालय
		<p> ॐॐzॐॐॐ †ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐ </p>	गन्ने के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का स्थानीय कार्यालय
		<p> ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ +zॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐॐ </p>	अनुसूचित जाति और अनु.जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों/किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी/ तिलहनी तथा खाद्यान्न फसलों के उन्नत एवं अधिक उत्पादन देने वाली फसलों के बीज उपलब्ध कराकर उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना। इसके अंतर्गत निम्न कार्यक्रम चलाये जाते हैं :-	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का स्थानीय कार्यालय
		समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एवं उर्वरकों का संतुलित व समन्वित उपयोग कार्यक्रम	समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एवं उर्वरकों के संतुलित व समन्वित उपयोग द्वारा भूमि के स्वास्थ्य को बनाये रखते हुये दीर्घकाल तक टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना।	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का स्थानीय कार्यालय
		कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा)	इसके अंतर्गत कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में नवीन तकनीकी हस्तांतरण द्वारा एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम हेतु गति देने हेतु विभिन्न गतिविधियों का समावेश किया गया है।	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का स्थानीय कार्यालय
<p> ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐ±ॐॐॐॐॐॐॐॐॐ </p>	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करवाना तथा कृषि के लिए उत्तम खाद उपलब्ध कराना।	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग		

				का स्थानीय कार्यालय
		<p>कृषकों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, ओले और कीट व्याधि से होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता देना।</p>		<p>किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का स्थानीय कार्यालय / राजस्व विभाग</p>

क्र.	विभाग का नाम	योजनाओं का नाम	उद्देश्य एवं विवरण	सम्पर्क सूत्र
		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	इसके अंतर्गत कृषि तथा संबंधित विभाग और संस्थाओं जैसे पशु पालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, बीज प्रमाणीकरण संस्था आदि के अतिरिक्त निजी संस्थाओं के सहयोग से कृषि उत्पादन से जुड़े संसाधनों का विकास कर किसानों को लाभ पहुंचाना। योजना के अंतर्गत कृषि विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों में भूमि की उर्वरता बढ़ाना, किसानों को समुचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराना, सिंचाई संसाधनों का विकास कर जल स्तर में वृद्धि तथा सिंचाई क्षेत्र का विकास करना है।	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का स्थानीय कार्यालय
		बीज ग्राम योजना	कृषक स्तर पर उन्नत बीज उत्पाद प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता, प्रशिक्षण तथा अद्योसंरचना का विकास करना।	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का स्थानीय कार्यालय
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	सतत रूप से तकनीकी का विस्तार कर कृषि उपज में वृद्धि करना और कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारना। इसके अंतर्गत धान, गेहूं एवं दलहन फसलों के विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाता है।	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का स्थानीय कार्यालय
		कृषि यंत्रिकरण	इसके अंतर्गत कम्बाईन, हार्वेस्टर फेक्टर, पावर थ्रेसर, शक्तिचलित एवं बैल चलित/हस्तचलित, उन्नत कृषि यंत्रों पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है।	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का स्थानीय कार्यालय
अधिक जानकारी के लिए बेवसाईट http://www.mpkrishi.org/ पर प्रतिमाह विजिट करें।				
2	विभाग	जलवायु-सुविधा सुविधा	भूमि, जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर यह योजना प्रदेश में संचालित है। इस योजना में कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर अमरुद्ध, अनार, आंवला, आम, संतरा, मौसम्बी, नीबू, केला, पपीता एवं अंगूर के रोपण पर नाबार्ड के इकाई लागत पर अनुदान दिया जाता है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें विभागीय फलोद्यान योजना के अंतर्गत केवल संतरा, मौसम्बी, अमरुद्ध, अनार, आंवला, आम एवं नीबू पर अनुदान नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है।	उद्यानिकी विभाग का स्थानीय कार्यालय
		आम, आंवला एवं बेर के देशी पौधों को टॉप वर्किंग विधि द्वारा उन्नतशील किस्मों में बदला जाता है। यह कार्य विभागीय अमले एवं ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर कराया जाता है।		उद्यानिकी विभाग का स्थानीय कार्यालय
		केला रोपण के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु।		उद्यानिकी विभाग का स्थानीय कार्यालय
		सब्जी रोपण के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु।		उद्यानिकी विभाग का स्थानीय कार्यालय
		पुष्प उत्पादन के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु	योजनान्तर्गत गुलाब, रजनीगंधा, आस्टर, गेंदा, गुलदाऊदी, ग्लेडियोलाई आदि प्रमुख पुष्पों के कृषकों के यहाँ प्रदर्शन डलवाये जाते हैं।	उद्यानिकी विभाग का स्थानीय कार्यालय

--	--	--	--	--

क्र.	विभाग का नाम	योजनाओं का नाम	उद्देश्य एवं विवरण	सम्पर्क सूत्र
		मसाला उत्पादन के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु मसाले वाली फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मसाला मिनिकिट की योजना चालू की गई है।	उद्यानिकी विभाग का स्थानीय कार्यालय	
		औषधीय एवं सुगंधित फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु राज्य पोषित योजना के अन्तर्गत अश्वगंधा, सर्पगंधा, ईसबगोल, अजवाइन, सफेद मूसली, विलायती सौंफ, मेंथा पामारोज आदि के मिनिकिट की रोपण सामग्री के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।	उद्यानिकी विभाग का स्थानीय कार्यालय	
		संकर मिर्च के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए सभी वर्ग के कृषकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत बीज, बीजोपचार, रासायनिक एवं जैविक उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियों हेतु अनुदान हितग्राहियों को निःशुल्क एक वर्ष में एक बार उपलब्ध कराना प्रावधानित है।	उद्यानिकी विभाग का स्थानीय कार्यालय	
		अंगूर की खेती	अंगूर की खेती को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के हरदा, धार, खरगौन, गुना, अशोकनगर, उज्जैन, देवास एवं रतलाम जिले के कृषकों को बैंक ऋण निर्धारित टेबलग्रेप्स पर नाबार्ड द्वारा अनुदान देय है।	उद्यानिकी विभाग का स्थानीय कार्यालय
		आलू विकास	आलू के उत्पादन में वृद्धि हेतु योजनान्तर्गत उन्नत किस्मों के प्रदर्शन डलवाये जाते हैं।	उद्यानिकी विभाग का स्थानीय कार्यालय
		बाड़ी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम	राज्य शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही को उसकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर सब्जी बीजों के पैकेट वितरित करने का प्रावधान है।	उद्यानिकी विभाग का स्थानीय कार्यालय
		मशरूम विकास कार्यक्रम (प्रशिक्षण)	व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से मशरूम के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है।	उद्यानिकी विभाग का स्थानीय कार्यालय
		मध्यप्रदेश राज्य उद्यानिकी मिशन	बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, पोषण सुरक्षा में सुधार तथा किसानों के लिये आय अर्जन में सहायता द्वारा बागवानी क्षेत्र की सर्वांगीय विकास करना।	कार्यालय उप संचालक उद्यानिकी एवं उद्यानिकी विभाग का स्थानीय कार्यालय

अधिक जानकारी के लिए बेवसाईट [http:// www.horticulture.mp.gov.in/](http://www.horticulture.mp.gov.in/) पर प्रतिमाह विजिट करें।

3	कृषकों की उपज को तारण पर रख कर ऋण की स्वीकृति।	सहकारिता विभाग के स्थानीय कार्यालय
	चुने हुए क्षेत्रों और चुनी हुई फसलों के सभी ऋणी सदस्यों की फसल का बीमा कर नुकसान होने की भरपाई करना।	सहकारिता विभाग के स्थानीय कार्यालय
	सहकारी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत साख सीमा से कृषकों	सहकारिता विभाग के

		<p> ढुडुडु (डुडुडुडुडु डुडुडुडुडुडु डुडुडुडुडु डुडुडुडुडुडुडु) </p>	को सरलता से ःरण उपलब्ध करवाना।	स्थानीय कार्यालय
अधिक जानकारी के लिए बेवसाईट http:// www.mp.gov.in/cooperatives/ पर विजिट करें।				
4	वन विभाग	<p> डुडुडुडुडु डुडुडुडुडुडुडु डुडुडु डुडुडुडुडुडु डुडुडु डुडुडुडुडुडुडुडु डुडुडुडुडु डुडुडुडुडुडुडुडुडु डुडुडुडु डुडुडु </p>	निजी तथा राजस्व भूमि पर खड़े वनों तथा पड़ती भूमि की उत्पादकता बढ़ाकर भूमि स्वामियों और पंचायतों को नियमित आय सुनिश्चित करवाना।	वन विभाग के स्थानीय कार्यालय

क्र.	विभाग का नाम	योजनाओं का नाम	उद्देश्य एवं विवरण	सम्पर्क सूत्र
		<p>सहकारिता विभाग के स्थानीय कार्यालय</p>	<p>औषधीय पौधों की खेती एवं विपणन को बढ़ावा देना।</p>	
<p>अधिक जानकारी के लिए बेवसाईट http:// www.mpforest.org / पर प्रतिमाह विजिट करें।</p>				
5	<p>ऊर्जा विकास निगम के स्थानीय कार्यालय</p>	<p>गोबर गैस पर आधारित बायोगैस संयंत्र की स्थापना</p>	<p>ऊर्जा विकास निगम के स्थानीय कार्यालय</p>	
		<p>गौशालाओं में बायोगैस संयंत्र की स्थापना कर, विद्युत उत्पादन, कुकिंग गैस एवं जैविक खाद की उपलब्धता से गौशालाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में मदद करना।</p>	<p>मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल अथवा गौ-संवर्धन बोर्ड भोपाल</p>	
<p>अधिक जानकारी के लिए बेवसाईट http:// www.mpenergy.nic.in/ पर विजिट करें।</p>				
6	<p>मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम</p>	<p>जैव उर्वरक</p>		<p>जिला कृषि उद्योग विकास निगम</p>
		<p>बाँयो गैस</p>		<p>जिला कृषि उद्योग विकास निगम</p>
		<p>मधुमक्खी पालन</p>		<p>जिला कृषि उद्योग विकास निगम</p>
<p>अधिक जानकारी के लिए बेवसाईट http:// mpstateagro.nic.in/ पर विजिट करें।</p>				